महत्वपूर्ण एवं खास

घरघोड़ा के कया में जन समस्या निवारण शिविर 29 नवम्बर को

रायगढ़। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में रायगढ़ जिले में ग्रामीणजनों की आवश्यकताओं, शिकायतों एवं समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन विकासखण्ड स्तर पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में 29 नवम्बर को विकासखण्ड घरघोड़ा के ग्राम-कया में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन होगा।

6 तहसीलदार और 4 नायब तहसीलदारों के प्रभार में फेरबदल

रायपुर (आरएनएस)। रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने जिले में पदस्थ कई तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का तबादला आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक 6 तहसीलदार और 4 नायब तहसीलदारों के प्रभार में फेरबदल किया गया है।

सरकारी नौकरी के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने वाला गिरफ्तार

राजनांदगांव-रायपुर (आरएनएस)। प्रार्थी योगेश कुमार धृतलहरे निवासी ग्राम पौसरी द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत करते हुए थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि मेरे गांव का ज्ञानेश्वर, जो कि वर्तमान में भरसेली में रहता है, जो की 10.01.2024 में वन विभाग में भृत्य की नौकरी दिलाने के नाम पर अलग-अलग किस्तों में मुझसे ?2,40,000 लिया है। आरोपी द्वारा वन विभाग के ऑफिस में घूमाकर एवं उच्च अधिकारियों से जान पहचान होने का झांसा देकर मुझे शासकीय नौकरी लगने का भरोसा दिलाया एवं जॉइनिंग लेटर मिलेगा बताया जो आज तक नहीं मिला। कि रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 881/2024 धारा 420 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाई करते हुए आरोपी ज्ञानेश्वर धृतलहरे को हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा प्रार्थी युवक से वन विभाग में भृत्य की नौकरी के नाम पर 2,40,000 रकम लेना स्वीकार किया गया। कि प्रकरण में आरोपी को आज दिन अंक 28.11.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है। आरोपी- ज्ञानेश्वर धृतलहरे उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम भरसेली थाना सिटी कोतवाली।

आदेश की अवहेलना करने वाले 38 पुलिसकर्मियों का एसपी ने किया तबादला

दुर्ग-रायपुर (आरएनएस)। एसपी जितेंद्र शुक्ला ने उनका निर्देश ना मानते हुए अपनी मर्जी से कार्य करने वाले टीआई, एसआई और सिपाहियों का तबादला किया है। उन्होंने 38 लोगों की ट्रांसफर लिस्ट निकाली है। इसमें 7 थाना प्रभारी, 4 सहायक उपनिरीक्षक, 3 सहायक उपनिरीक्षक, 8 हवलदार और 16 आरक्षक शामिल हैं। इसमें दो निरीक्षकों को लाइन अटैच किया गया है। दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला लगातार सभी थाना प्रभारी और उनके स्टॉफ को यह निर्देश देते आ रहे थे कि वो किसी प्रकार की गलत गतिविधियों में शामिल ना हों। साथ ही थाना क्षेत्र में नशा और जुआ सट्टा जैसी कोई भी चीज नहीं चलने दी जाए। इसके बाद वैशाली नगर थाना क्षेत्र लगातार अवैध शराब बेचने और सट्टा चलने की जानकारी मिल रही थी। थाना प्रभारी ममता अली शर्मा निर्देश के बाद भी इस पर ध्यान ही दीं तो एसपी ने खुद एक टीम बनाकर कार्रवाई की। दूसरी कार्रवाई एएसपी सिटी ने करवाई। भास्कर ने ये खबर प्रमुखता से उठाई। इसके बाद दुर्ग एसपी ने उनका तबादला अमलेश्वर थाना कर दिया है। उनकी जगह दुर्ग थाने में पदस्थ अमित कुमार अंदानी को थाना प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही स्मृति नगर चौरी प्रभारी वंदिता पानिकर को हटाकर डीएसबी का प्रभारी बनाया गया है। वंदिता के खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही थी। उन्हीं की चौकी में उनका हेड कांस्टेबल रिश्वत लेते एसबीसी के द्वारा गिरफ्तार किया। चौकी का डेरा बस्ती के लोगों ने घेराव किया। बीजेपी के लोगों ने घेराव किया। इस तरह की लगातार शिकायतें आने के बाद उन्हें यहां हटाया गया। वंदिता को कुछ महीने पहले ही खुर्सीपार थाना प्रभारी के पद से हटाया गया था। जो अन्य 7 थाना प्रभारियों को हटाया गया है उसमें अमलेश्वर थाना प्रभारी केशव राम कोसले को अमलेश्वर से थाना प्रभारी पद्मनाभपुर बनाया गया है। कोसले इससे पहले जामुल थाना प्रभारी थे। पद्मनाभपुर के थाना प्रभारी अंबिका प्रसाद ध्रुव को रीडर प्रथम पुलिस अधीक्षक कार्यालय दुर्ग बनाया गया है। निरीक्षक युवराज साहू को खुर्सीपार से धमधा थाना प्रभारी, धमधा थाना प्रभारी पीडी चंद्रा को रक्षित केंद्र दुर्ग और रीडर प्रथम पुलिस अधीक्षक कार्यालय दुर्ग रमेश प्रसाद निषाद को रक्षित केंद्र दुर्ग भेजा गया है।

अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल का किया निरीक्षण

- हमारी प्राथमिकता मरीजों को मिले बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं-स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ
- सीएचसी पुसौर पहुंचकर ओपीडी पंजीयन की ली जानकारी, दवाईयों के बेहतर रख-रखाव के दिए निर्देश

रायगढ़

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ ने आज संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शा.चिकित्सालय रायगढ़ का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ओपीडी एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने विभिन्न वार्डों का निरीक्षण करते हुए, सिकल सेल यूनिट संचालन की जानकारी ली। साथ ही चिल्ड्रन वार्ड, मेजर ओटी का अवलोकन किया। इस दौरान कलेक्टर कार्तिकेया गोयल, सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव उपस्थित रहे।

अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ ने नेत्र जांच विभाग एवं सर्जरी वार्ड का निरीक्षण किया। डीन मेडिकल कालेज डॉ.विनीत कुमार जैन ने वार्ड में बेड एवं स्टाफ कमी की समस्या से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर समस्याओं को अतिशीघ्र दूर करने एवं सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए प्रयास किया जाएगा। उन्होंने अस्पताल में मिल रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि वर्तमान की सुविधा अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। वहीं परिजनों के रूकने की व्यवस्था नहीं है, इसके लिए कार्य किया जाएगा। अस्पताल में जो भी कमियां नजर आयी है उसे दूर किया जाएगा। हमारी प्राथमिकता है कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। इस दौरान उन्होंने अस्पताल से संबंधित अन्य समस्याओं से अवगत होते हुए कलेक्टर गोयल को समस्याओं को निराकृत करने को कहा।

अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुसौर पहुंचे। यहां उन्होंने सर्वप्रथम ओपीडी पंजीयन एवं आयुष्मान कार्ड के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने ओपीडी स्त्री रोग, ओपीडी विशेषज्ञ दंत रोग, स्टोर रूम, आपातकालीन चिकित्सा कक्ष, नेत्र जांच, एक्सरे कक्ष का निरीक्षण कर आवश्यक सुविधाओं की जानकारी ली। अपर मुख्य सचिव पिंगुआ ने स्टोर रूम में दवाईयों को उपलब्धता की जानकारी लेते हुए दवाईयों के आवश्यक रखरखाव के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक्सपायर होने वाले दवाईयों को क्रमबद्ध तरीके से रखा जाए, ताकि उनका उपयोग समय पर हो सके। साथ ही उन्होंने दवाईयों की ऑनलाईन एंट्री हेतु कंप्यूटर व्यवस्था के निर्देश सीएमएचओ को दिए। उन्होंने आयुष्मान कार्ड भुगतान के स्थिति की जानकारी ली। अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुसौर के हमर लैब का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने लैब में होने वाले टेस्ट की जानकारी ली। संबंधित डॉक्टर ने बताया कि यहां 54 प्रकार के टेस्ट किए जा रहे है एवं वर्तमान में पर्याप्त टेस्ट उपकरण की सुविधाएं उपलब्ध है।

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश मरकाम, अधीक्षक मेडिकल कालेज डॉ.मनोज कुमार मिंज, डॉ.ए.एम.लकड़ा, सीएमएचओ डॉ.चंद्रवंशी, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ.भानु पटेल सहित मेडिकल कालेज अस्पताल के डॉक्टर एवं स्वास्थ्य विभाग के स्टॉफ उपस्थित रहे।

लीगल सर्विसेस मैनेजमेंट सिस्टम एवं नालसा हेल्प लाईन नंबर-15100 पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

रायगढ़

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार जैन के मार्गदर्शन में एवं प्रवीण मिश्रा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग (एक) रायगढ़ तथा न्यायाधीश/सचिव अंकिता मुदलियार के नेतृत्व में जिला एवं सत्र न्यायालय के सभागार में ''लीगल सर्विसेस मैनेजमेंट सिस्टम एवं नालसा हेल्प लाईन नंबर-15100 प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें पैनल अधिवक्ताओं एवं पैरालीगल वालिंटियर की सहभागिता रही। इस मीटिंग पर जिला एवं तालुका स्तर पर पैनल अधिवक्ताओं को नालसा के पोर्टल को अपडेट किये जाने के संबंध में बताया गया तथा प्रशिक्षण सामाग्री प्रदान किया गया। सालसा/डालसा के भौतिक रूप या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त समस्त आवेदनों/शिकायतों को नवंबर 2024 के अन्त तक अपडेट करने के संबंध में कार्यक्रम में चर्चा की गई।

कार्यक्रम में राष्ट्रीय नेशनल लोक अदालत 14 दिसम्बर 2024 को सफल बनाने तथा अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के प्रयास की दिशा में प्रत्येक दिवस विभिन्न स्थानों में एक-एक शिविर आयोजित करने तथा अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जागरूक करते हुए राष्ट्रीय नेशनल लोक अदालत की जानकारी देने हेतु निर्देशित किया गया।

न्यायालय निर्णय : हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

- एसआई गिरधारी साव की विवेचना ने लगातार दूसरी बार दिलाई आरोपी को उम्रकैद की सजा

रायगढ़

दिनांक 27/11/2024 को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार ठाकुर के न्यायालय में थाना कोतरारोड़ के अपराधिक प्रकरण क्रमांक 148/2023 धारा 302,120बी, 34 भादवि में अभियुक्त देवदास महंत पिता विशंभर दास महंत उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम बयांग थाना कोतरारोड़ को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसी प्रकरण में सह अभियुक्त रहे कैलाश कपूर सिदार को आरोपित सभी धाराओं पर दोष मुक्त किया गया है।

अभियोजन के अनुसार मृतक कमल दास महंत पिता हृदय दास महंत उम्र 20 वर्ष निवासी बयांग थाना कोतरारोड़ एवं अभियुक्त देवदास महंत दोनों के बीच धंधा, रकम लेनदेन का विवाद था। कैलाश सिदार का भी कमल दास महंत से विवाद था, विवाद को लेकर कैलाश सिदार कई बार कमल दास को जान से मारने की धमकी दिया था। इसी बात को लेकर कैलाश सिदार और उसके साथी अभियुक्त देवदास महंत आपस में एक राय होकर कमल दास महंत की हत्या की योजना बनाए और पूर्व नियोजित तरीके से आपराधिक षडयंत्र कर 17 दिसंबर की शाम 6:00 बजे अभियुक्त देवदास महंत अपनी मोटरसाइकिल से ग्राम बयांग से कमल दास महंत को बिठाकर नंदेली लेकर आया। नंदेली में अभियुक्त देवदास महंत ने कमल दास को अत्यधिक शराब पिलायी और मोटरसाइकिल में बिठाकर ग्राम जोगीतराई के लेकर आया और उसे छोड़कर अपने साथी कैलाश सिदार को लेने उसके गांव गया फिर दोनों जोगीतराई में कमल दास महंत को साथ लेकर ग्राम कोतरा एकांत जगह में मौका देखकर लोहे की रॉड/छड़ से कमल दास महंत के सिर पर चोट पहुंचाकर हत्या कर दिए और शव को घटनास्थल पावर ग्रिड के सामने छोड़कर वापस अपने घर बयांग आ गए। 18 दिसंबर को अस्पताल तहरीर पर थाना कोतवाली में बिना नंबरी मर्ग कायम किया गया, थाना कोतरारोड को मर्ग डायरी प्राप्त होने पर मर्ग क्रमांक 76/23 धारा 174 सीआरपीसी कायम कर जांच में लिया गया। मर्ग जांच पर दोनों आरोपियों के विरूद्ध हत्या का अपराध कायम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई तथा महत्वपूर्ण साक्ष्यों के साथ चालान न्यायालय पेश किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मनमोहन सिंह ठाकुर द्वारा पैरवी की गई पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य जिसमें तात्कालिक थाना प्रभारी कोतरारोड़ उप निरीक्षक गिरधारी साव एवं विवेचनाधिकारी द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों के साथ ही आरोपी देवदास महंत के मेमोरेंडम पर घटना में प्रयुक्त लोहे का टुकड़ा रॉड और मोटर सायकल सुपर स्पलेण्डर मय चाबी एवं की विधिवत जप्ती की गई थी जो प्रति परीक्षण में भी खण्डित नहीं हो सका। माननीय न्यायाधीश द्वारा अभियोजन एवं अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं दलीलों का सूक्ष्मता से परिशीलन किया गया और अपने नतीजे पर पहुंचे, उन्हें देवदास महंत को हत्या करना (धारा 302 भादवि) में अपराध सिद्ध पाकर आजीवन कारावास एवं रु.5000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया है तथा अन्य आरोपी कैलाश कपूर सिदार को हत्या और आपराधिक षड्यंत्र के अपराध में दोस्त मुक्त किया गया है। अभियोजन पक्ष की पैरवी एवं एसआई गिरधारी साव द्वारा की गई गहन जांच और मजबूत साक्ष्य संग्रहण की वजह से यह लगातार दूसरा मामला है जिसमें अभियुक्त को सख्त सजा मिली है।

श्रमिकों के वेतन व कार्य दशायें, आर्थिक एवं सामाजिक हितों के लिए लगाए जा रहे विशेष श्रम शिविर

- श्रमिकों को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी का भुगतान होने पर टोल फ्री नंबर 0771-3505050 पर कर सकते है शिकायत

रायगढ़

छत्तीसगढ़ शासन के मंशानुरूप निर्माण श्रमिकों के अधिकाधिक पंजीयन एवं योजनाओं के लाभ प्रदाय करने हेतु जिला रायगढ़ अंतर्गत श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र, चावड़ी, निर्माणाधीन भवनों एवं कार्य स्थलों में विशेष श्रम शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

इसी तारतम्य में आज अपेक्स हॉस्पिटल, छातामुड़ा चौक रायगढ़ के नवीन निर्माणाधीन अस्पताल भवन में पंजीयन शिविर आयोजित किया गया। जहाँ पर 50 से अधिक निर्माण श्रमिक कार्यरत पाये गये जिसमें से लगभग 37 श्रमिक झारखण्ड राज्य के हैं एवं शेष श्रमिक के जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उनका श्रम पंजीयन आवेदन किया गया। निर्माण स्थल पर नियोजक द्वारा श्रम कानूनों का पालन किया जा रहा है या नहीं की जॉच हेतु सहायक श्रमायुक्त के निर्देशानुसार श्रम निरीक्षक डीलेन्द्र चौधरी व श्रम कल्याण अधिकारी सौरभ पाण्डेय द्वारा स्थल निरीक्षण भी किया गया। जॉच के दौरान पाया गया कि अस्पताल प्रबंधन व ठेकेदार द्वारा अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 के तहत् अनुज्ञप्ति नहीं लिया गया, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम 1996 के तहत ठेकेदार द्वारा पंजीयन नहीं कराया गया, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है साथ ही समान कार्य के लिए महिला एवं पुरूष श्रमिकों को समान वेतन न देकर समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का उल्लंघन किया गया। जिसके संबंध में प्रमुख नियोजक (अस्पताल प्रबंधन) व ठेकेदार को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।

समस्त निर्माण श्रमिकों को सूचित किया जाता है कि श्रम विभाग द्वारा प्रत्येक 06 माह (अप्रैल, अक्टूबर) में अनुसूचित सामान्य नियोजन में नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर जारी की जाती है एवं विभिन्न श्रम अधिनियमों के माध्यम से श्रमिकों के आर्थिक, शारीरिक एवं सामाजिक हितों के संरक्षण का उपाय किया जाता है। ऐसे समस्त निर्माण श्रमिकों से अपील है कि यदि नियोजक द्वारा उन्हें न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी का भुगतान किया जाता है तो वे टोल फ्री नंबर 0771-3505050 या सहायक श्रमायुक्त कार्यालय रायगढ़ में सम्पर्क कर शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। श्रम विभाग द्वारा शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए विभिन्न श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन कर श्रमिकों की सेवा शर्तो का नियमन कराना, श्रमिकों का वेतन एवं कार्य दशायें को सुनिश्चित कराना श्रम विभाग का मुख्य दायित्व है।

ग्राम सरडामाल में अवैध महुआ शराब का भंडाफोड़, कोतरारोड़ पुलिस की कार्यवाई

रायगढ़

एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन तथा एडिशनल एसपी आकाश मरकाम एवं डीएसपी अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन पर कोतरारोड़ पुलिस ने अवैध शराब निर्माण पर सख्त कार्रवाई करते हुए आज सुबह सरडामाल गांव में महुआ शराब की बड़ी खेप को नष्ट कर दिया। थाना प्रभारी निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी को मिली मुखबिर की सूचना पर उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त के नेतृत्व में पुलिस दल ने यह कार्रवाई की।

पुलिस ने गांव में मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर घेराबंदी की, जहां महुआ शराब बनाने के लिए भट्ठी बनाई गई थी। मौके पर प्लास्टिक की बाल्टियों, सिल्वर के गंज और 10-12 बोरियों में महुआ पास बरामद किया गया, शराब बनाने वाले आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने मौके पर मौजूद महुआ पास का नष्टीकरण किया और ग्रामीणों को अवैध शराब निर्माण रोकने के लिए कड़ी चेतावनी दी। साथ ही मुनादी कराई गई कि इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्रवाई में उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त, सहायक उप निरीक्षक डीपी चौहान, प्रधान आरक्षक प्रेम सिंह सिदार, आरक्षक मनोज जोल्हे, सुरेंद्र भगत और अखिलेश कुशवाहा शामिल थे। पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की है कि अवैध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

छात्रों के साथ सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा दे रहा न्यौता भोज

- अतिरिक्त पोषण के साथ छात्रों को उत्सव में सहभागी बनने का मिलता है अवसर

रायगढ़

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत समुदाय के सहभागिता एवं भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए न्यौता भोजन प्रारंभ किया गया है। न्यौता भोजन की प्रमुख अवधारणा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत जिले के अध्यनरत प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के छात्र-छात्राओं को अतिरिक्त पोषण आहार में वृद्धि की दृष्टि से न्यौता भोजन आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के न्यौता भोजन का आशय भोजन दान की प्रकृति को महादान की प्रकृति के रूप में प्रचारित किया जाना है। राज्य शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए विभिन्न सामुदायिक भागीदारी से स्कूलों में विभिन्न अवसरों जैसे त्योहार, विशेष अवसरों जैसे वर्षगांठ, जन्मदिन, विवाह एवं राष्ट्रीय पर्व में भारतीय परंपरा आधारित बड़ी संख्या में लोगों को भोजन समुदाय, शिक्षक के द्वारा कराया जा रहा है।

रायगढ़ जिले में राज्य शासन के निर्देशानुसार माह जून से अक्टूबर 2024 तक की स्थिति में रायगढ़ जिले के अंतर्गत 2605 स्कूलों में 92390 बच्चों को न्यौता भोजन खिलाया गया। न्यौता भोजन तीन प्रकार से शालाओं में दिए जाते हैं प्रथम न्यौता भोजन पूर्ण भोजन है, जिसमें स्कूल के सभी कक्षाओं के सभी बच्चों को नियमित मध्यान्ह भोजन के समान या उससे अधिक खाद्य सामग्रियों का वितरण दानदाता द्वारा किया जाता है। द्वितीय प्रकार के न्यौता भोजन को आंशिक पूर्ण भोजन कहा जाता है। जिसके अंतर्गत दानदाता द्वारा किसी कक्षा विशेष के लिए पूर्ण भोजन दिया जाता है। तृतीय प्रकार के न्यौता भोजन में शाला में नियमित मध्यान्ह भोजन दिया जाता है, जिसमें दानदाता द्वारा अतिरिक्त पोषण सामग्री जैसे फल, मिठाई, बिस्कुट हलवा आदि दिया जाता है।

रायगढ़ जिले की विशेष पहल कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के द्वारा 02 अगस्त 2024 को मध्यान्ह भोजन की जिला स्तरीय विभागीय समिति की बैठक के दौरान मध्यान्ह भोजन की समीक्षा में सभी मध्यान्ह भोजन पकाने वाले स्कूलों को दाल में नियमित रूप से प्रोटीन की मात्रा को और बढ़ाने के लिए मुनगा भाजी को अनिवार्य रूप से शामिल करने हेतु निर्देशित किया गया। जिससे सभी शालाओं में दाल के साथ मुनगा भाजी डालकर पकाया जाकर बच्चों को पूरा पोषक आहार के रूप में भी दिया जा रहा है।

न्यौता भोजन को बढ़ावा देने के लिये जिला प्रशासन की ओर से समुदाय के सभी दानदाताओं से अपील की है कि अपने और अपने परिवार के जन्मदिन, वर्षगांठ एवं अन्य त्यौहारी आयोजन के अवसर पर प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के स्कूली बच्चों को पूर्ण भोजन के रूप में पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन प्रदान करें। न्यौता भोजन के लिये अपने क्षेत्र के शासकीय शाला के प्रधान पाठक, सीएसी, बीआरसी, बीईओ या जिला शिक्षा अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480